राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प:–4(1)राज–6/2002/112. जयपुर, दिनांक:– 23.12.2020

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन बाबत् परिपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007 एवं 28.12.2017 जारी कर सभी जिला कलक्टर्स को यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति नाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी जांच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं राज0 भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति संबंधित त्रुटियों को संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर दुरूस्त कर सकते है।

उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी राज्य सरकार को इस तरह के आवेदन प्राप्त हो रहे है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नही की जा रही है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपमानजनक व गलत दर्ज जाति संबंधित त्रुटियों को संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
3. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव